कार्यालय तहसीलदार डिबाई बुलन्दशहर।

दिनांक–01.08.2015

**प्रेस विज्ञप्ति**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील डिबाई के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रमो के तालाबों/पोखरों को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पटटा आंवटन शिविर का आयोजन शासनादेश संख्या 3756–1–2/95 रा0–2 दिनांक–17–10–1995 एवं मान्य उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार पंजीकृत मछुआ समितियों/समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर तहसील डिबाई के सभागार में **दिनांक– 28.08.2015** को प्रातः 10 बजे से किया जाऐगा। मत्स्य पालन पटटा हेतु प्रार्थना पत्र इच्छुक व्यक्तियों से प्रातः 10 बजे से अपराहन 2 बजे तक लिये जाऐंगे। अपराहन 2 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाऐगा, तथा अपराहन 2 बजे के बाद सामान्य वरीयता समूह में नीलामी के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जाऐगी। नीलामी हेतु न्यूनतम बोली 22500/–रू0 प्रति हेक्टेर प्रतिवर्ष होगी । उपस्थित व्यक्तियों में से समान वरीयता समूह में सार्वाधिक बोली के आधार पर मत्स्य पालन पटटा आंवटन की कार्यवाही की जाऐगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा, खतौनी जाति प्रमाण पत्र (विज्ञापन की तिथि से 6 माह पुराना न हो) प्रार्थना पत्र के साथ नियत तिथि समय व स्थान पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सर्वाधिक बोली दाता को नीलामी के तत्काल उपरान्त 10 वर्षीय लगान का 1/4 भाग जमा करना होगा । पटटा स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय डिबाई को होगा।

| क0सं0 | ग्राम का नाम | गाटा सं0 | क्षेत्रफल ( हे0 में ) | क0सं0 | ग्राम का नाम | गाटा सं0 | क्षेत्रफल ( हे0 में ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बुढानपुरकलां | 113 | 2.921 | 13 | खरिकवारी | 274<br>340<br>422 | 0.481<br>0.215<br>0.253 |
| 2 | संगदलनपुर उर्फ रतनपुर | 298 | 1.728 | 14 | त्रिलोकपुर | 88 | 0.304 |
| 3 | पेसरी | 469 | 1.354 | 15 | जलालपुर जटट | 377स | 0.746 |
| 4 | औरंगाबाद कसेर | 307 | 0.455 | 16 | नौदेई बांगर | 59 | 0.645 |
| 5 | औरंगाबाद कसेर | 889 | 1.607 | 17 | गढियासुल्तानपुर | 60 | 0..333 |
| 6 | परिहावली | 102 | 0.600 | 18 | गढियासुल्तानपुर | 188/2 | 0.468 |
| 7 | असदपुर घेड | 339 | 0.556 | 19 | जरगवां ( नगला गर्वी ) | 603 | 0.582 |
| 8 | असदपुर घेड | 87 | 0.291 | 20 | जरगवां ( नगला गर्वी ) | 604 | 0.481 |
| 9 | यावापुर | 364 | 0.152 | 21 | महाराजपुर उर्फ रतुआनगला | 55स<br>59 | 1.607<br>1.189 |
| 10 | यावापुर | 225 | 0151 दोनों एक ही पोखर | 22 | बैलोन | 628मि | 0.658 |
| 11 | यावापुर | 341 | 0.240 | 23 | करीरी | 126मि | 0.575 |
| 12 | चौढेरा | 187मि | 0.315 | 24 | शहदवां | 302 | 0.524 |

तहसीलदार
डिबाई।

पत्रांक/ 1065/5 र0का0/मत्स्य पटटा /2015–2016 दिनांक– 1.8.2015
प्रतिलिपि–

1– जिलाधिकारी महोदय बुलन्दशहर सेवा में सादर अवलोकनार्थ ।
2– उपजिलाधिकारी महोदय डिबाई की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सिकन्द्राबाद/खुर्जा/स्याना/अनूपशहर/शिकारपुर/बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु
4– सहायक निदेशक मत्स्य बुलन्दशहर की सेवा मे सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं मछुआ समुदाय को अवगत कराने हेतु ।
5– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कृपया नेट पर डालने का कष्ट करें।
6– अपरजिला सूचना अधिकारी बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित ।
7– राजस्व निरीक्षक डिबाई/दानपुर को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उक्त ग्रमों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार–प्रसार हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के माध्यम से मुनादी कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पटटा शिविर की तिथि को कार्यालय में प्रस्तुत कराने हेतु ।
8– नायब तहसीलदार दानपुर/नीलामी अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु ।
9– खण्ड विकास अधिकारी डिबाई/दानपुर को इस अनुरोध के साथ विज्ञप्ति का प्रचार–प्रसार करायें।
10–सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान/अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति को सूचनार्थ ।

तहसीलदार
डिबाई।